



साइबर सेल गाजियाबाद द्वारा स्टॉक मार्केट में ट्रेड कराने के बहाने ठगी किए गये 05 लाख रु0 पीडित को वापस कराये गये ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी अपराध महोदय के कुशल निर्देशन में साइबर सेल द्वारा शिकायतकर्ता अमित भाई पटेल नि0 खोड़ा कालौनी गाजियाबाद के साथ धोखाधड़ी की गयी कुल धनराशि 5 लाख रूपये वापस कराये गये ।

अपराध कारित करने का तरीका एवं कार्यवाही:-

शिकायतकर्ता से स्टॉक/ट्रेड मार्केट में ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने के बहाने 05 लाख रूपये धोखाधड़ी से ठग लिये थे। उक्त शिकायत पर साइबर सेल द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी की गयी पूरी धनराशि 05 लाख रूपये शिकायतकर्ता को वापस करायी गयी ।

प्रेस नोट

क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद द्वारा 03 अन्तर्राज्यीय शातिर लुटेरे, लूट के 06 मोबाइल मय चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार।

जनपद में लूट/स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने व उनकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद द्वारा निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, अपराध व क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद लगातार लुटेरों/स्नैचरों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक: 30.07.2022 को क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद को ट्रान्सहिन्दन क्षेत्र में सूचना मिली कि पिछले कुछ समय से जनपद गाजियाबाद में जो गिरोह लूट/स्नैचिंग की घटनाओं को अन्जाम दे रहे हैं वो लूट करने हेतु मोहन नगर से राजनगर एक्सटेन्शन की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नागद्वार के पास 03 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रान्च को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनका 01 साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पकड़े गये लुटेरों के कब्जे से लूट/चोरी के 06 मोबाइल व 01 चोरी की स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर लुटेरों ने बताया कि हम लोग करीब 05-06 वर्षों से दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में लूट/स्नैचिंग कर रहे हैं। लूट करने में हम लोग जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, वह हम पहले चोरी करते हैं नम्बर बदलकर फिर उससे वारदात करते हैं। ज्यादा दिन हो जाता है तो वह मोटरसाइकिल हम कहीं भी छोड़ देते हैं। हमने यह मोटर साइकिल लगभग दो माह पहले दिल्ली से चोरी की थी, जिसका इस्तेमाल हम लोग मोबाइल/चैन लूट के लिए कर रहे थे। सफेद अपाचे पर फरार होने में कामयाब रहे व्यक्ति के बारे में पूछा तो बताया कि साहब वह सुन्दर नगरी का रहने वाला नन्हे था जो मोबाइल छिनैती में हमारा साथी है व जिस अपाचे पर वह भागा है वह मोटर साइकिल भी चोरी की है हम छिने गये सारे मोबाइल व चैन आदि नन्हे के माध्यम से ही बेचते हैं। हमसे जो मोबाइल बरामद हुये हैं, आज ये सब मोबाइल नन्हे को देने के लिए आये थे जो आगे बेच देता और मिले हुए पैसों को हम लोग आपस में बांट लेते। हम लोग अपने खर्च और शौक तथा वकील का खर्चा लूट करके ही पूरे करते हैं।

अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा आसपास के राज्यों में लूट/स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। अभियुक्तों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीम बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. लईक पुत्र अतीक अहमद निवासी ओ-ब्लाक सुन्दर नगरी, दिल्ली
2. अमन खान पुत्र दिलशाद निवासी गणेशपुरी शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद
3. आफताब पुत्र दिलशाद निवासी सुन्दरनगरी, दिल्ली

फरार अभियुक्तगण :-

1. नन्हें निवासी सुन्दरनगरी, दिल्ली

आपराधिक इतिहास :-

1. लईक पुत्र अतीक अहमद निवासी उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 1252/16 धारा 379,411 भादंवि थाना कविनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 1979/16 धारा 411,414,420 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 1997/16 धारा 379,411 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

4. मु0अ0सं0 1977 / 16 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 2128 / 16 धारा 379,411 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 747 / 19 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 794 / 21 धारा 356,379,34 भादंवि थाना सीमापुरी दिल्ली
8. मु0अ0सं0 572 / 21 धारा 25,54,59 एक्ट थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली
9. मु0अ0सं0 271 / 20 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सीमापुरी दिल्ली
10. मु0अ0सं0 263 / 20 धारा 356,379,34 भादंवि थाना सीमापुरी दिल्ली
11. मु0अ0सं0 266 / 20 धारा 356,379,34 भादंवि थाना सीमापुरी दिल्ली
12. मु0अ0सं0 115 / 20 धारा 356,379,34 भादंवि थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली
13. मु0अ0सं0 113 / 20 धारा 356,379,34 भादंवि थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली
14. मु0अ0सं0 267 / 18 धारा 356,379,411 भादंवि थाना सीमापुरी दिल्ली
15. मु0अ0सं0 943 / 16 धारा 356,379,411,34 भादंवि थाना नन्दनगरी दिल्ली
16. मु0अ0सं0 675 / 21 धारा 356,379,34 भादंवि थाना विवेक विहार दिल्ली
17. मु0अ0सं0 407 / 21 धारा 356,379,34 भादंवि थाना आनन्द विहार दिल्ली
18. मु0अ0सं0 47 / 20 धारा 356,379,34 भादंवि थाना जी0टी0वी0 एन्कलेव दिल्ली
19. मु0अ0सं0 201 / 18 धारा 356,379,34 भादंवि थाना सीमापुरी दिल्ली
20. मु0अ0सं0 203 / 18 धारा 356,379,34 भादंवि थाना सीमापुरी दिल्ली
21. मु0अ0सं0 223 / 18 धारा 356,379,34 भादंवि थाना सीमापुरी दिल्ली
22. मु0अ0सं0 254 / 18 धारा 356,379,34 भादंवि थाना सीमापुरी दिल्ली
23. मु0अ0सं0 929 / 16 धारा 392,34 भादंवि थाना नन्दनगरी दिल्ली
24. मु0अ0सं0 924 / 16 धारा 356,379,34 भादंवि थाना नन्दनगरी दिल्ली
25. मु0अ0सं0 358 / 16 धारा 392,34 भादंवि थाना नन्दनगरी दिल्ली
26. मु0अ0सं0 202 / 16 धारा 392,34 भादंवि थाना नन्दनगरी दिल्ली
27. मु0अ0सं0 102 / 16 धारा 356,379,34 भादंवि थाना नन्दनगरी दिल्ली
28. मु0अ0सं0 88 / 16 धारा 356,379,34 भादंवि थाना नन्दनगरी दिल्ली
29. मु0अ0सं0 1182 / 22 धारा 411,414 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

2. अमन खान पुत्र दिलशाद निवासी उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 26182 / 18 धारा 379,411,34 भादंवि थाना जीटीवी एंक्लेव दिल्ली
2. मु0अ0सं0 335 / 21 धारा 2 / 3 गैंगस्टर एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 1465 / 20 धारा 392,411 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 1539 / 20 धारा 401 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 3749 / 18 धारा 392,411 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 486 / 19 धारा 411,414 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 1182 / 22 धारा 411,414 भादंवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी :-

1. 01 मोटरसाईकिल स्पेण्डर प्लस (चोरी की)
2. 06 मोबाइल लूट / चोरी

दिनांक- 30-7-22 थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद, थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 30-7-22 को थाना क्षेत्र मे 03 शातिर अभियुक्त को मय चोरी के माल एक स्पिलिट A.C कम्पनी HITACHI व 06 बंडल 4mm रंग लाल ANCHOR by Panasonic व 08 बंडल 1mm Swadeshi CABLES तथा 02 बंडल 1mm etira तथा 07 बंडल KALINGA SLS GROUP GOLD बिजली के तार 10 बंडल 4mm रंग काला ANCHOR by Panasonic तथा 01 बंडल 1mm datar by POLYCAB बिजली के तार व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर मारुति कार रंग नीला वाहन नं0 UP16CC6715 के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम मुनेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना थाना नन्दग्राम क्षेत्र पालम रिसोर्ट सोसायटी व ऑफिसर सिटी सेकेंड सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन में स्टोर (मैनिटेन्स)में हुई 02 चोरी का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभि0गण 1. सलमान मंसूरी पुत्र जमालुद्दीन निवासी जी 42 बिशनपुर सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर 2. धर्मेन्द्र सिसोदिया पुत्र मुकेश सिंह निवासी ग्राम सबाना थाना कपूरपुर तहसील धौलाना हापुड 3. राशिद सैय्यद पुत्र अब्बास निवासी लोनी बाँडर ग्राम बेहटा गाजियाबाद को मय चोरी हुए माल के सहित नूर नगर राजनगर एक्स0 मे किया गया गिरफ्तार।

बरामदगी का विवरण:-

- 1 एक अदद स्पिलिट A.C कम्पनी HITACHI (डब्बा पैक)
- 2 06 अदद बंडल 4mm रंग लाल ANCHOR by Panasonic
- 3 08 अदद बंडल 1mm Swadeshi CABLES
- 4 02 अदद बंडल 1mm etira CABLES
- 5 07 अदद बंडल KALINGA SLS GROUP GOLD CABLES
- 6 10 अदद बंडल 4mm रंग काला ANCHOR by Panasonic
- 7 01 अदद बंडल 1mm datar by POLYCAB CABLES
- 8 घटना मे प्रयुक्ता SWIFT डिजायर कार रंग नीला वाहन नं0 UP16CC6715

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सलमान मंसूरी पुत्र जमालुद्दीन निवासी जी 42 बिशनपुर सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष
2. धर्मेन्द्र सिसोदिया पुत्र मुकेश सिंह निवासी ग्राम सबाना थाना कपूरपुर तहसील धौलाना हापुड उम्र 31 वर्ष
3. राशिद सैय्यद पुत्र अब्बास निवासी लोनी बाँडर ग्राम बेहटा गाजियाबाद उम्र 47 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 735/22 धारा 457/380/411 भादवि।

मु0अ0सं0 729/22 धारा 457/380/411 भादवि।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री मुनेन्द्र सिंह थाना नन्दग्राम
2. उ0नि0 श्री विकास सिंह
3. है0का0 875 विनोद राठी
4. का0 2363 दिनेश तोमर
5. का0 3102 प्रवेश कुमार

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 20 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 29/7/2022 समय 19.25 बजे गोलचक्कर पर भोपुरा जाने वाले रास्ते थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से 20 हजार रुपये का इनामिया राहुल शर्मा पुत्र जितेन्द्र कुमार शर्मा नि0 बी 37 रामगली थाना भजनपुरा दिल्ली-53 उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त उपरोक्त जो राह चलते लोगों से लूटपाट जैसे जघन्य अपराध कारित करता था जो थाना साहिबाबाद से गैगस्टर में वाछित अभियुक्त है जिस की गिरफ्तारी पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा 20000 रू0 का ईनाम घोषित किया गया था को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल शर्मा पुत्र जितेन्द्र कुमार शर्मा नि0 बी 37 रामगली थाना भजनपुरा दिल्ली-53 उम्र 34 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 25/2022 धारा 394/411 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

मु0अ0स0 30/2022 धारा 411/414/420 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

मु0अ0स0 2380/2021 धारा 394/411 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

मु0अ0स0 795/2022 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0 श्री सुमित कुमार

का0 2461 सुनील

का0 3559 अविनाश कुमार

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक- एक

अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 -01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

!! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अभय कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान थाना प्रभारी खोडा के कुशल नेतृत्व में अन्तर्राज्यीय /एनसीआर क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 02 शातिर अभियुक्तगण को दिनांक 30.07.22 समय 11.10 बजे घटना स्थल छीतर गेट के पास खोडा चौकी क्षेत्र खोडा गांव से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक – एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01-01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ ।

गिर0 अभियुक्तगण का नाम पता

1. हनी पुत्र जयसिंह निवासी पवन विहार गली न0 4 खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

2.संदीप पुत्र रामवीर निवासी पवन विहार मलिक स्टेशनरी के पास खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद
उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त **हनी पुत्र जय सिंह** उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	380/2022	3/25 ए एक्ट	खोडा	गाजियाबाद

अभियुक्त **संदीप पुत्र रामवीर** उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	381/2022	3/25 ए एक्ट	खोडा	गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्र०नि० श्री अल्ताफ अंसारी

उ०नि० श्री सतीशचन्द

का० 1119 अविनाश कुमार

का० 992 नितिन

का० 0347 पवन कुमार

का० 3755 अनुराग रावत

थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद।

गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत लोन माफिया/गैंग लीडर लक्ष्य तंवर की अशोक नगर स्थित करीब 5 करोड की बैनामी सम्पत्ति जब्त

दिनांक 30.07.2022

कार्यवाही:- लोन माफिया लक्ष्य तंवर पुत्र अशोक कुमार का एक संगठित गिरोह है जिसके द्वारा वर्ष 2012 से अबतक विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबन्धकों से साठ-गाँठ कर आम जनता के साथ धोखा-धड़ी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों से लोन लिया गया है तथा गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर नामी व बैनामी सम्पत्ति अर्जित की गयी है। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 922/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लक्ष्य तंवर आदि 12 नफर भी पंजीकृत है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा लोन माफिया/गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर अर्जित की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए न्यायालय अपर जिला अधिकारी



नगर गाजियाबाद के द्वारा वाद सं0 1016/2022 सरकार बनाम लक्ष्य तंवर मे पारित आदेश दिनांक 14.03.2022 के अनुपालन मे गैंग लीडर लक्ष्य तंवर की करीब 5 करोड बैनामी सम्पत्ति अशोक नगर स्थित प्लाट नं0 एस-12, रकबई 240.70 मीटर बी ब्लक आवासीय कालोनी को धारा 14(1) गिरोह बन्द एवं असामाजिक क्रिया-कलाप (निवारण) अधि0 1986 के अन्तर्गत दिनांक 30.07.2022 को कुर्क किया गया है।

थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद

गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत लोन माफिया/गैंग लीडर लक्ष्य तंवर की रचना वैशाली स्थित करीब 01 करोड की बैनामी सम्पत्ति जब्त

दिनांक 30.07.2022

कार्यवाही:- लोन माफिया लक्ष्य तंवर पुत्र अशोक कुमार का एक संगठित गिरोह है जिसके द्वारा वर्ष 2012 से अबतक विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबन्धकों से साठ-गाँठ कर आम जनता के साथ धोखा-धड़ी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों से लोन लिया गया है तथा गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर नामी व बैनामी सम्पत्ति अर्जित की गयी है। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 922/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लक्ष्य तंवर आदि 12 नफर भी पंजीकृत है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा लोन माफिया/गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर अर्जित की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए न्यायालय अपर जिला अधिकारी




नगर गाजियाबाद के द्वारा वाद सं0 528/2022 सरकार बनाम लक्ष्य तंवर मे पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 के अनुपालन मे गैंग लीडर लक्ष्य तंवर की करीब 01 करोड़ बैनामी सम्पत्ति रचना वैशाली स्थित प्लॉट नं0 थर्ड-ए/40, सैक्टर 03, रचना वैशाली मे बने द्वितीय फ्लोर को धारा 14(1) गिरोह बन्द एवं असामाजिक क्रिया-कलाप (निवारण) अधि0 1986 के अन्तर्गत दिनांक 30.07.2022 को कुर्क किया गया है।

थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद

गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत लोन माफिया/गैंग लीडर लक्ष्य तंवर की आर0डी0सी0 राजनगर स्थित करीब 20 लाख की बैनामी सम्पत्ति जब्त

दिनांक 30.07.2022

कार्यवाही:- लोन माफिया लक्ष्य तंवर पुत्र अशोक कुमार का एक संगठित गिरोह है जिसके द्वारा वर्ष 2012 से अबतक विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबन्धकों से साठ-गाँठ कर आम जनता के साथ धोखा-धड़ी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों से लोन लिया गया है तथा गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर नामी व बैनामी सम्पत्ति अर्जित की गयी है। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 922/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लक्ष्य तंवर आदि 12 नफर भी पंजीकृत है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा लोन माफिया/गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर अर्जित की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए न्यायालय अपर जिला अधिकारी



नगर गाजियाबाद के द्वारा वाद सं0 3360/2022 सरकार बनाम लक्ष्य तंवर मे पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन मे गैंग लीडर लक्ष्य तंवर की करीब 20 लाख बैनामी सम्पत्ति आर0डी0सी0 राजनगर स्थित प्लाट नं0 8/11, राजनगर गाजियाबाद मे बने कार्यालय ग्राउण्ड फ्लोर सिंगल स्टोरी को धारा 14(1) गिरोह बन्द एवं असामाजिक क्रिया-कलाप (निवारण) अधि0 1986 के अन्तर्गत दिनांक 30.07.2022 को कुर्क किया गया है।